रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 505] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 1972/अग्रहायण 8, 1894

No. 505] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 1972/AGRAHAYANA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIB

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th November 1972

S.O. 727(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Messrs. Containers and Closures, Limited, Calcutta, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (hereinafter referred to as "Authorised Controller") to take over the management of the whole of the said undertaking, namely Messrs. Containers and Closures, Limited Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official Gazette of this Order.

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official Gazette.

[No. F. 2/17/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1972

का० आ० 7‌_7(अ)/18ए/आई डी आर /ए72.—यत : केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स कन्टेनर्स एंड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया गया है, इस प्रकार किया जा रहा है, जो लोक हित में अतिअहितकर है ;

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत नियंत्रक" कहा गया है), उक्त सम्पूर्ण उपक्रम अर्थात् मैसर्स कन्टेनर्स एंड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता, का निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए, एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ।

(ii) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए पदधारण करेगा ।

(iii) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को पहले भी समाप्त कर सकेगी ।

2 यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 2/17/72-सी यू सी]

के० ए० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972